

11/3/24
11/3/24

Not Press
Mukesh

11/3/24
सिली



अम्बाला

क्र.

पत्रावली वकील शर्मा ने उपस्थित होकर एक प्रारूप पेश किया गया जिस पर पत्रावली शिवाह से संबंध की शर्त प्रकाश में शर्मागण व वकील शर्मा ने अब आगे कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया गया, वरम रुनी शर्मा पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रकाश में शर्मागण व वकील शर्मा के द्वारा प्रारूप में कोई कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी के
सहायक कलेक्टर को



हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

नहीं चाहें से प्राप्ति का प्रापण
की कार्यवाही इस तरह पर समाप्त की
जारी है। पञ्चायती फौजदारी शिखर होकर
उसी नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा